International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

1947 में भारत का विभाजन : एक अध्ययन

अमित कुमार , शोधार्थी,
इतिहास विभाग, कु० मा० राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर

सारांश

1947 में ब्रिटिश राज समाप्त हो गया और भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र देश बना दिया गया। इसे भारत का विभाजन कहा जाता था। इस समय के दौरान, भारत की राजनीतिक सीमाएं बदल गईं, और अन्य संपत्तियाँ दोनों देशों के बीच विभाजित हो गईं। अब भारत गणराज्य हैं और पाकिस्तान, जो भारत के दोनों ओर दो क्षेत्रों से बना था, अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश हैं। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने विभाजन की योजना तैयार की।बंगाल और पंजाब, ब्रिटिश भारत के दो प्रांत, नई राजनीतिक सीमाओं के कारण विभाजित हो गए थे। इन प्रांतों के जिसस हिस्से में अधिकांश मुस्लिम थे, उन्हें पाकिस्तान को दे दिया गया था और जिसस हिस्से में मुस्लिम आबादी कम थी, उन्हें भारत को दे दिया गया था। ब्रिटिश भारतीय सेना, रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन एयर फोर्स, इंडियन सिविल सर्विस, रेलवे और केंद्रीय खजाने को भी विभाजित किया गया था। पाकिस्तान और भारत क्रमशः 14 अगस्त और 15 अगस्त, 1947 की आधी रात को अपने स्वयं के कानूनों के साथ स्वतंत्र देश बन गए।

1947 के विभाजन के कारण बहुत सारी मौतें हुईं और बहुत सारे लोग दो प्रभुत्वों के बीच चले गए। इसने युद्ध के माध्यम से इसे बनाने वाले शरणार्थियों को और भी अधिक सुनिश्चित किया कि वे एक ही धर्म के लोगों के साथ सबसे सुरक्षित थे। पाकिस्तान के मामले में, इसने ब्रिटिश भारत में मुसलमानों को रहने के लिए एक ऐसी जगह दी जिसकी उन्होंने पहले केवल कल्पना की थी। अधिकांश लोगों को लगता हैं कि विभाजन के समय लगभग दस लाख अतिरिक्त लोग मारे गए थे। विभाजन कितना हिंसक था, इसके कारण आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत शत्रुता और संदेह हैं।

1. 1937 में ब्रिटिश राज से बर्मा (म्यांमार) का अलग होना ।
2. 1796 में ईआईसी के शासन से सीलोन (श्रीलंका) का बहुत पहले अलगाव। इस क्षेत्र में अन्य राजनीतिक संस्थाएं या परिवर्तन जो विभाजन का हिस्सा नहीं थे।
3. दो नए प्रभुत्वों में रियासतों का राजनीतिक एकीकरण।
4. भारत द्वारा हैं हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों का विलय।
5. भारत, पाकिस्तान और बाद में चीन के बीच जम्मू और कश्मीर की रियासत का विवाद और विभाजन।
6. 1947–1954 की अवधि के दौरान भारत में फ्रांसीसी भारत के परिक्षेत्रों का समावेश।
7. 1961 में भारत द्वारा गोवा और पुर्तगाली भारत के अन्य जिलों पर कब्जा।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

8. 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश का अलगाव।

नेपाल और भूटान ने अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें स्वतंत्र देश बनाते थे । जो भारत का हिस्सा नहीं थे। जो अंग्रेजों द्वारा शासित थे। 1861 की एंग्लो–सिक्किमी संधि ने सिक्किम के हिमालयी साम्राज्य को एक रियासत बना दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि इसका प्रभारी कौन था। सिक्किम 1947 में एक स्वतंत्र राज्य बन गया, लेकिन यह अभी भी भारत द्वारा शासित तथा मालदीव 1887 में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया और उन्हें 1965 में अपनी स्वतंत्रता मिली।

विभाजन के कारण

19 वीं शताब्दी के अंत तक भारत में कई राष्ट्रवादी आंदोलन उभरे थे। शिक्षा की ब्रिटिश नीतियों और परिवहन और संचार के क्षेत्र में भारत में अंग्रेजों द्वारा की गई प्रगति के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का विस्तार हुआ था। यद्यपि ब्रिटिश असंवेदनशीलता और भारत के लोगों और उनके रीति–रिवाजों से दूरी ने भारतीयों के बीच ऐसा मोह भंग पैदा किया कि ब्रिटिश शासन का अंत आवश्यक और अपरिहार्य हो गया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटेन को भारत छोड़ने का आह्वान कर रही थी। 1943 में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश विभाजन और छोड़ने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उपमहाद्वीप में एक अलग मुस्लिम मातृभूमि के जन्म के कई कारण थे और सभी तीन पार्टियाँ–ब्रिटिश, कांग्रेस और मुस्लिम लीग–जिम्मेदार थीं।

उपनिवेशवादियों के रूप में, अंग्रेजों ने भारत में 'फूट डालो और राज करो' की नीति का पालन किया था। जनगणना में उन्होंने लोगों को धर्म के अनुसार वर्गीकृत किया और उन्हें एक दूसरे से अलग माना। अंग्रेजों ने भारत के लोगों के बारे में अपने ज्ञान को धार्मिक ग्रंथों और उनमें पाए गए आंतरिक मतभेदों पर आधारित किया, बजाय यह जाँचने के कि विभिन्न धर्मों के लोग कैसे सह–अस्तित्व में थे। वे मुसलमानों से संभावित खतरे से भी डरते थे। जो उपमहाद्वीप के पूर्व शासक थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत 300 से अधिक वर्षों तक भारत पर शासन किया था। उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना में मद्द की और अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन का समर्थन किया। दोनों ऐसे संस्थान थे जहाँ से मुस्लिम लीग के नेता और पाकिस्तान की विचारधारा का उदय हुआ जैसे ही लीग का गठन हुआ, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल रखा गया। इस प्रकार भारत में मुसलमानों की अलगाव नीति भारतीय चुनावी प्रक्रिया में बनाई गई थी।

भारत के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक वैचारिक विभाजन भी था। जबकि भारत में राष्ट्रवाद की मजबूत भावनाएं थीं। 19वीं शताब्दी के अंत तक देश में सांप्रदायिक संघर्ष और आंदोलन भी थे। जो वर्ग या क्षेत्रीय के बजाय धार्मिक पहचान पर आधारित थे। कुछ लोगों ने महसूस किया कि इस्लाम की प्रकृति ने एक सांप्रदायिक मुस्लिम समाज का आह्वान किया। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप पर सत्ता की यादें थीं जो मुसलमानों के पास थीं। विशेषतः मुगल शासन के पुराने केंद्रों में।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

इन यादों ने मुसलमानों के लिए औपनिवेशिक शक्ति और संस्कृति को थोपने को स्वीकार करना असाधारण रूप से मुश्किल बना दिया होगा। कई लोगों ने अंग्रेजी सीखने और अंग्रेजों के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया। यह एक गंभीर दोष था क्योंकि मुसलमानों ने पाया कि सहकारी हिंदुओं को बेहतर सरकारी पद मिले और इस प्रकार महसूस किया कि ब्रिटिश हिंदुओं का पक्ष लेते हैं। परिणामस्वरूप समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान जिन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, मुसलमानों को सिखाया कि समाज में उनके अस्तित्व के लिए अंग्रेजों के साथ शिक्षा और सहयोग महत्वपूर्ण था। हालांकि मुस्लिम पुनरुत्थान के सभी आंदोलनों से जुड़ा हिंदू समाज में आत्मसात और जलमग्नता का विरोध था। हिंदू पुनरुत्थान वादियों ने भी दोनों देशों के बीच की खाई को गहरा कर दिया। वे भारत पर अपने पूर्व शासन के लिए मुसलमानों से नाराज थे। हिंदू पुनरुत्थान वादियों ने गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए रैली की, जो मुसलमानों के लिए मांस का एक सस्ता स्रोत हैं। वे आधिकारिक लिपि को फारसी से हिंदू देवनागरी लिपि में बदलना चाहते थे। जिससे प्रभावी रूप से उर्दू के बजाय हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जा सके।

कांग्रेस ने अपनी नीतियों में कई गलतियाँ कीं। जिसने लीग को आश्वस्त किया कि औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के बाद अविभाजित भारत में रहना असंभव था, क्योंकि उनके हितों को पूर्ण रूप से दबा दिया जाएगा। ऐसी ही एक नीति भारत के स्कूलों में ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम विरोधी भावना से जुड़ा एक राष्ट्रगान बंदे मातरम की स्थापना थी। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए समर्थन पर प्रतिबंध लगा दिया। जबकि मुस्लिम लीग ने अपना पूर्ण समर्थन देने का वादा किया, जिसे अंग्रेजों से समर्थन मिला, जिन्हें बड़े पैमाने पर मुस्लिम सेना की मद्द की आवश्यकता थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके परिणामस्वरूप राजनीति से कांग्रेस पार्टी की वापसी ने भी लीग को सत्ता प्राप्त करने में मद्द की, क्योंकि उन्होंने उन प्रांतों में मजबूत मंत्रालयों का गठन किया जिनमें बड़ी मुस्लिम आबादी थी। उसी समय लीग ने भारत में मुसलमानों से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया। विशेषतः जिन्ना जैसे गतिशील नेताओं के मार्गदर्शन में। अविभाजित भारत की कुछ उम्मीद थी, लेकिन 1942 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत स्थापित अंतरिम सरकार को कांग्रेस द्वारा खारिज किए जाने से मुस्लिम लीग के नेताओं को विश्वास हो गया कि समझौता असंभव हैं और विभाजन ही एकमात्र रास्ता है।

विभाजन का प्रभाव और परिणाम

महात्मा गांधी, भारत के विभाजन ने भारत और पाकिस्तान दोनों को तबाह कर दिया। विभाजन की प्रक्रिया ने दंगों, बलात्कार, हत्याओं और लूटपाट में कई लोगों की जान ले ली और मुसलमानों द्वारा शक्ति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पन्द्रह मिलियन शरणार्थी सीमाओं के पार उन क्षेत्रों में चले गए जो उनके लिए पूरी तरह से विदेशी थे क्योंकि उनकी पहचान उनके पूर्वजों के

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भौगोलिक घर में निहित थी। भारत के विभाजन के अलावा पंजाब और बंगाल के प्रांतों को विभाजित किया गया था। जिससे विनाशकारी दंगे हुए और हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के जीवन का दावा किया गया।

विभाजन के कई साल बाद दोनों राष्ट्र अभी भी पीछे छोड़े गए घावों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों ने सरकार की एक स्थापित अनुभवी प्रणाली के बिना बर्बाद अर्थव्यवस्थाओं और भूमि के साथ अपनी स्वतंत्रता शुरू की। विभाजन के तुरंत बाद उन्होंने गांधी, जिन्ना और इकबाल जैसे अपने कई सबसे गतिशील नेताओं को खो दिया। पाकिस्तान ने बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को सहन किया। विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हुए हैं। कश्मीर पर कब्जे के मुद्दे पर उनके बीच अब भी गतिरोध बना हुआ हैं।

विभाजन के बाद स्थानांतरण

1951 की जनगणना के बाद भी भारत से कई मुस्लिम परिवारों ने 1950 के दशक और 1960 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान में पलायन करना जारी रखा। इतिहासकार उमर खालिदी के अनुसार, दिसंबर 1947 और दिसंबर 1971 के बीच पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय मुस्लिम प्रवास उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से हुआ था। केरल प्रवासन का अगला चरण 1973 और 1990 के दशक के बीच था और इन प्रवासियों के लिए प्राथमिक गंतव्य कराची और अन्य शहरी केंद्र थे। 1959 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया था, कि 1951 से 1956 तक भारत से कुल 650,000 मुसलमान पश्चिम पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गए। हालांकि, विसारिया (1969) ने पाकिस्तान में भारतीय मुस्लिम प्रवास के बारे में दावों की प्रामाणिकता के बारे में संदेह उठाया, क्योंकि पाकिस्तान की 1961 की जनगणना ने इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की थी। हालांकि, पाकिस्तान की 1961 की जनगणना में एक बयान सम्मिलित किया गया था जिसमें कहा गया था कि पिछले दशक में भारत से पाकिस्तान में 800,000 लोगों का प्रवास हुआ था। जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनमें से अधिकांश कभी वापस नहीं आए।

1970 के दशक में पाकिस्तान में भारतीय मुसलमानों के प्रवास में भारी गिरावट आई। एक प्रवृत्ति जो पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा देखी गई। जून 1995 में पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री नसीरुल्ला बाबर ने नेशनल असेंबली को सूचित किया कि 1973–1994 की अवधि के बीच, 800,000 आगंतुक वैध यात्रा दस्तावेजों पर भारत से आए थे। इनमें से केवल 3,393 ही रह गए। एक संबंधित प्रवृत्ति में भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों के बीच अंतर्विवाह में तेजी से गिरावट आई हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त रियाज खोखर के नवंबर 1995 के एक बयान के अनुसार, 1950 और 1960 के दशक में सीमा पार विवाह की संख्या 40,000 प्रतिवर्ष से घट कर मुश्किल से 300 सालाना रह गई हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के बाद 3,500 मुस्लिम परिवार था रेगिस्तान के भारतीय हिस्से से था रेगिस्तान के पाकिस्तानी खंड में चले गए। 1965 के युद्ध के बाद 400 परिवारों को नगर में बसाया गया था। अतिरिक्त 3000 पश्चिम पाकिस्तान के सिंध प्रांत के चचरो तालुका में बस गए थे । पाकिस्तान सरकार ने प्रत्येक परिवार को 12 एकड़ जमीन प्रदान की। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, यह भूमि कुल 42,000 एकड़ थी। पाकिस्तान में 1951 की जनगणना में पूर्वी पाकिस्तान में 671,000 शरणार्थी अंकित किए गए। जिनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल से आए थे। बाकी बिहार के रहने वाले थे। आईएलओ के अनुसार, 1951–1956 की अवधि में, पाँच लाख भारतीय मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान चले गए। 1961 तक यह संख्या 850,000 तक पहुँच गई। रांची और जमशेदपुर में हुए दंगों के बाद साठ के दशक के अंत में बिहारियों का पूर्वी पाकिस्तान की ओर पलायन जारी रहा और इनकी संख्या करीब 10 लाख हो गई. कच्चे अनुमान बताते हैं कि विभाजन के बाद के दो दशकों में लगभग 1.5 मिलियन मुसलमान पश्चिम बंगाल और बिहार से पूर्वी बंगाल चले गए।

पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण हिंदुओं का भारत पलायन जारी हैं। उनमें से अधिकांश भारत के राजस्थान राज्य में बस जाते हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के आँकड़ों के अनुसार, 2013 में लगभग 1,000 हिंदू परिवार भारत भाग गए। मई 2014 में सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग–नवाज (पीएमएल–एन) के एक सदस्य, डॉ० रमेश कुमार वंकवानी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुलासा किया कि लगभग 5,000 हिंदू हर साल पाकिस्तान से भारत में पलायन कर रहे हैं। चूंकि भारत ने 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए यह पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों को शरणार्थी के रूप में मान्यता देने से इनकार करता हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के था पारकर जिले में जनसंख्या 1947 में स्वतंत्रता के समय 80 प्रतिशत हिंदू और 20 प्रतिशत मुस्लिम थी। 1965 और 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्धों के दौरान अनुमानित 1,500 हिंदू परिवार भारत भाग गए, जिसके कारण जिले में बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय बदलाव हुआ। इन्हीं युद्धों के दौरान 23,300 हिंदू परिवार भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पश्चिमी पंजाब से जम्मू संभाग में चले गए थे। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारत में हिंदुओं का पलायन बेरोकटोक जारी रहा। भारत में 1951 की जनगणना में अंकित किया गया कि 2.5 मिलियन शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से आए। जिनमें से 2.1 मिलियन पश्चिम बंगाल चले गए, जबकि बाकी असम, त्रिपुरा और अन्य राज्यों में चले गए। ये शरणार्थी लहरों में आए और पूरी तरह से विभाजन में नहीं आए। 1973 तक, उनकी संख्या 6 मिलियन से अधिक हो गई। निम्नलिखित डेटा पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों की प्रमुख लहरों और उन घटनाओं को प्रदर्शित करता हैं। जिनके कारण पलायन हुआ।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

निष्कर्ष

धर्म के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के दो राष्ट्रों में विभाजन को ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों से देश की स्वतंत्रता के लिए भुगतान की गई अपरिहार्य कीमत के रूप में देखा जाता हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के लेखकों द्वारा निर्मित विभाजन साहित्य हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता हैं कि विभाजन की दुर्दशा के दौरान आम लोग कैसे पीड़ित हैं। विशेष रूप से महिलाओं को विपरीत समुदायों के पुरुषों द्वारा हिंसा का शिकार होना पड़ता हैं, बच्चों को आघात पहुँचाया जाता हैं और पुरुषों को बेरहमी से मार दिया जाता हैं। आगजनी, रक्तपात, बलात्कार, हत्या, लिंचिंग, अपहरण आदि। विभाजन के दौरान होने वाली सामान्य घटनाएं हैं और विभाजन साहित्य के लेखकों द्वारा बहुत कलात्मक और वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व किया गया हैं। विभाजन के सभी भयानक परिणामों के बीच अभी भी सांत्वना के लिए कुछ चीजें हैं, यद्यपि उपमहाद्वीप दो राष्ट्रों में विभाजित हैं लेकिन भाषा और साहित्य विभाजित नहीं हैं। द्वि–राष्ट्र सिद्धांत हिंदी को हिंदू और उर्दू को मुसलमानों की भाषा होने का दावा करता हैं। जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं और मुसलमान जो भारत से पाकिस्तान नहीं जाते हैं। वे दोनों देशों में दोनों भाषाओं को जीवित रखते हैं। विभाजन लोगों की भाषाओं को नष्ट करने में विफल रहता हैं। इसलिए साहित्य का विभाजन न हुआ हैं और न कभी होगा।

संदर्भ सूची

1. अंसारी, सारा (2016) विभाजन के बाद जीवनः सिंध में प्रवासन, समुदाय और संघर्ष 1947–1962 ऑक्सफोर्ड, यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, आईएसबीएन 0–19–597834–X
2. भावनानी, नंदिता (2014) निर्वासन का निर्माणः सिंधी हिंदू और भारत का विभाजन, वेस्टलैंड, आईएसबीएन 978–93–84030–33–9
3. बटलर, लॉरेंस जे. (2013) ब्रिटेन और साम्राज्य एक पोस्ट–इंपीरियल दुनिया में समायोजित करना, लंदन आईबी टौरिस, आईएसबीएन 1–86064–449–X
4. दैया, कविता (2005) हिंसक सामानः पोस्ट कोलोनियल भारत में विभाजन, लिंग और राष्ट्रीय संस्कृति, फिलाडेल्फियाः टेम्पल यूनिवर्सिटीप्रेस, आईएसबीएन 978–1–59213–744–2
5. इकराम, एस.एम. भारतीय मुसलमान और भारत का विभाजन, दिल्ली अटलांटिक, आईएसबीएन 81–7156–374–0
6. जलाल, आयशा (1993), एकमात्र प्रवक्ताः जिन्ना, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, आईएसबीएन 978–0–521–45850–4
7. जुब्रज़ीकी, जॉन (2006) द लास्ट निजामः ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक में एक भारतीय राजकुमार पैन मैकमिलन, ऑस्ट्रेलिया आईएसबीएन 978–0–330–42321–2

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

8. शेख, फरजाना (2017) इस्लाम में समुदाय और आम सहमतिः औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम प्रतिनिधित्व, 1860–1947, कैम्ब्रिज, यूके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, आईएसबीएन 0–521–36328–4.

9. स्पीयर, पर्सिवल (1958), भारत में ब्रिटेन का सत्ता हस्तांतरण प्रशांत मामले, 31 (2): 173–180, दोई 10.2307/3035211, जेएसटीओआर 3035211

10. विसारिया, प्रवीण एम (1969), भारत और पाकिस्तान के बीच प्रवासन, 1951–61 जनसांख्यिकी, 6 (3) 323–334, दोईः 10.2307/2060400, जेएसटीओआर 2060400, पीएमआईडी 21331852, एस 2 सीआईडी 23272586

11. शेषाद्रि, एच. वी. (2013) विभाजन की दुखद कहानी, बैंगलोर साहित्य सिंधु प्रकाशन।

12. जुब्रज़ीकी, जॉन (2006) द लास्ट निजाम ऑस्ट्रेलियाई आउट बैक में एक भारतीय राजकुमार, पैनमैकमिलन, ऑस्ट्रेलिया, आईएसबीएन 978–0–330–42321–2

13. आजाद, मौलाना अबुल कलाम (2003) पहली बार 1959 में प्रकाशित, इंडिया विन्स फ्रीडमः एन ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव, नई दिल्ली ओरिएंट लॉन्गमैन, आईएसबीएन 978–81–250–0514–8

14. नायर, नीति (2010) बदलती मातृ भूमि हिंदू राजनीति और भारत का विभाजन।